92

III/निग०/सिंगरौली/2017/3942

न्यायालय श्रीमान् सदस्य मान्नीय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवाम०प्र०

3०/-

1. सुरेश तनय सुद्दू यादव
2. रमेश तनय सुद्दू यादव
3. सम्पत्ति तनय सुखनन्दन यादव तीनों निवासी ग्राम कुववाही तह ०सरईजि० सिंगरौली म०प्र० ---- आवेदकगण

बनाम्

1. भाईलाल यादव तनय शोभनाथ यादव
2. जगदीश यादव तनय रामचरण यादव
3. रेवती यादव तनय राममनोहर यादव
4. बुद्धसेन उर्फ सीताराम तनय बुद्धू यादव उक्त सभी निवासी ग्राम कुववाही तह० सरई जिला सिंगरौली म०प्र० --- अनावेदकगण

आवेदक श्री सन्तोष कुमार अधि० द्वारा पेश/ 17-10-17

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, जिला सिंगरौली म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 64अपील/2013-2014 पर पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 5/9/2017 से व्यथित होकरके

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित हैः-

§1§ यहकि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 5/9/2017 विधि एवं प्रक्रिया एवं न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण प्रथम दृष्टया शून्य किये जाने योग्य है।

§2§ यहकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अन्तरिम आदेश पारित करने के पूर्व इस विधिक एवं महत्वपूर्णतथ्यों पर ध्यान नही दियागया कि उत्तरवादीगण / अनावेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय के मूल आदेश दिनांक 9/10/2010की जानकारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण कमांक III/निग/17/3942 जिला– सिंगरौली

पक्षकार का नाम सुरेश यादव वगैरह / मईलाल यादव वगैरह

(1)	(2)	(3)
28.12.17	प्रकरण प्रस्तुत । 2–आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3– आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	